

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्र	फर्द अहकाम	तारीख
	<p>मुं नं० 84/14</p> <p>उतवाम - सौतोषी बनाम नारायण दावा काकट रघायी निषेधाज्ञा 9 घोषणा खोतदारी</p> <p>वादी की ओर से श्री डिलावर सिंह A.O. ने दावा काकट रघायी निषेधाज्ञा (188) व घोषणा खोतदारी (188) के अन्तर्गत पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजि स्ट्र कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब नर प्रभावली दिनांक 18.11.14 को पेश हो।</p>	<p>255457</p> <p>28-10-14</p> <p>उपजिला कलेक्टर टोडाभीम (करोली)</p>
18/14	<p>वादी वकील उप०। प्रतिवादी नं० 1 का 4 काबजूद सूचना उप० नहीं है। प्रतिवादी नं० 5 का सम्मन वापिस प्राप्त नहीं। 1-0-14 को करीली पीछा में पधारे हैं। वास्तु अग्रिम आदेश दिनांक 22-12-14 को पेश हो।</p>	
22/14	<p>वादी वकील उप० प्रतिवादी गण 1 का 5 काबजूद सूचना उपलब्ध नहीं है। एक तलब वापिस की आदेश दिए जाते हैं। वास्तु अग्रिम प्रतिवादी दिनांक 28-1-15 को पेश हो।</p>	
28/15	<p>वकुलाय उपस्थित पीठासन अधिकारी चुनावकी मेथार है। गतानुसार दिनांक 18-3-15 को पेश हो।</p>	